संख्या:166/2026/1118/35-4-2026/35-4002(099)/1/2026

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मेरठ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 22 जुलाई, 2026

विषय: त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत हुए कार्यों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत जनपद मेरठ/हापुड में शासनादेश संख्या:108/2026/605/35-4-2026/35-4002(099)/1/2026 दिनांक 31.03.2026 द्वारा 155 कार्यों की रू. 3889.06 लाख की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 966.00 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है। जिलाधिकारी, मेरठ के पत्रांक:296/त्व0आ0वि0यो0/2025-26 दिनांक 06.07.2026 के क्रम में उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31.03.2026 के प्रस्तर-1 की तालिका के क्रमांक-135, 136 एवं 144 पर इंगित निम्नलिखित कार्यों की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति को एतदद्वारा निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

क्र0	कार्य का नाम	शासनादेश दिनांक 31.03.2026 का क्रमांक	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
1	भूमिया के पुल से ब्रहमपुरी को जाने वाले मुख्य मार्ग पर सी0सी0 रोड/इण्टर लाकिग टाईल्स द्वारा सडक निर्माण कार्य	135	61.22	15.00
2	ब्रहमपुरी में शास्त्री की कोठी से भूमिया के पुल की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर सी0सी0 रोड/इण्टरलाकिग टाईल्स द्वारा सडक निर्माण कार्य	136	39.01	10.00
3	वार्ड 67 में भूसा वाले से कपिल चित्रकूट कालोनी के मकान तक सी0सी0 रोड/इण्टरलाकिग टाईल्स द्वारा सडक निर्माण कार्य	144	16.42	4.00
		योग:	116.65	29.00

2- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 31.03.2026 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। निरस्त कार्यों हेतु अवमुक्त धनराशि राजकोष के सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा कराते हुए इसकी सूचना ट्रेजरी चालान की प्रति सहित शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय,
अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>संख्या:166/2026/1118(1)/35-4-2026/35-4002(099)/1/2026 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण/ नगर विकास विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र०।
6- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, मेरठ मंडल ।
8- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ/हापुड़।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ/हापुड़।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, मेरठ/हापुड़।
15- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, मेरठ/हापुड़।
16- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम, मेरठ/हापुड़।
17- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।